## <u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

## <u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 262/2016</u> संस्थित दिनांक— 04.05.2016

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—ठीकरी, जिला बडवानी म.प्र.

.....अभियोजन

### वि रू द्व

- आरिफ पिता अब्दुल कादर खाजी मुसलमान, उम्र 25 वर्ष, निवासी मेन रोड़ बाग, जिला धार
- अब्दुल कादर पिता इस्माईल खाजी मुसलमान, उम्र 55 वर्ष, निवासी मेन रोड बाग, जिला धार
- रशीदा बी पति अब्दुल कादर खाजी मुसलमान, उम्र 45 वर्ष, निवासी मेन रोड बाग, जिला धार
- युसुफ पिता इस्माईल खाजी मुलमान,
  उम्र 50 वर्ष, निवासी मेन रोड बाग, जिला धार

.....अभियुक्तगण

ı	अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
	अभियुक्तगण द्वारा	– श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।

# —: <u>नि र्ण य</u>:— (आज दिनांक 17/12/2016 को घोषित)

- 1. अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 64/2016 के आधार पर दिनांक 20.02.2016 को दिन में लगभग 12:00 बजे फरियादिया आफरीन के पित एवं पित के नातेदार होते हुए उसके साथ दहेज की मांग कर, शारीरिक एवं मानिसक कूरता कर प्रताड़ित करने और उससे दहेज के रूप में मोटरसाईकिल की अवैध रूप से मांग करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा 498-ए/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त आरिफ फरियादिया का पित एवं अभियुक्त अब्दूल उसका ससुर एवं अभियुक्ता रशीदा उसकी सास तथा अभियुक्त युसुफ उसका चाचा ससुर है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त आरिफ और फरियादियां का निकाह मुस्लिम रीति—रिवाज से वर्ष 2013 में ठीकरी में हुआ था, उक्त विवाह से उसका एक बेटा है जो वर्तमान में आरोपीगण के साथ निवास करता है, यह तथ्य भी स्वीकृत है कि विवाह के बाद से फरियादिया आरोपीगण के घर बाग जिला धार में निवास करती थी।
- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2016 को

फरियादिया श्रीमती आफरीन ने आरोपीगण के विरूद्ध थाना ठीकरी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह दिनांक 20.04.2013 को आरोपी आरीफ के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही उसे उसके सस्राल वाले पति और पति के नातेदार छोटी-छोटी बातों को लेकर एवं चरित्र शंका को उसे परेशान करने लगे एवं आये दिन उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट एवं गाली गलोच करते थे। शादी के बाद से ही अपने ससुराल ग्राम बाग रही थी उसे, उसके ससुराल वाले आये दिन शारीरिक व मानसिक प्रताडना देते थे। उसका पति उसे अपने पिताजी के घर से मोटरसाईकिल लाने का कहता था, उसके ससुराल वाले उसके माता-पिता से भी बाते नहीं करने देते थे। दिनांक 20. 02.2016 को दोपहर 12:00 बजे उसे, उसके पति ने उसके घर में रस्सियों से बांध दिया और सभी ने उसके साथ हाथ थप्पड से मारपीट की थी। आरोपीगण ने उसे घासलेट डालकर जान से खत्म कर देने की धमकी दी थी। दिनांक 20.02. 2016 को आरोपीगण उसे ठीकरी छोडकर चले गये थे, उसके बाद वह अपने पिता के साथ रिपोर्ट करने आई है। फरियादिया आफरीन की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 64 / 16 भा.द.वि. की धारा 498-ए / 34 का अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया ।

- 4— अभियोग—पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 498—ए/34, 294, 323/34, 506 भाग—2 भा.द.वि. तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं. प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है ।
- 5— विचारण के दौरान फरियदियां ने अभियुक्तगण से राजीनामा किये जाने के आधार पर अभियुक्तगण को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग—2 भा.द.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा भा.द.वि. की धारा 498—ए/34 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के लिये निर्णय किया जा रहा है।

#### प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि –

क्र.	विचारणीय प्रश्न	
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 20.02.2016 को दिन के लगभग 12:00 बजे फरियादी आफरीन के ससुराल ग्राम बाग उसके पित एवं पित के नातेदार होते हुए सामान्य आशय रखते हुए फरियादिया आफरीन को शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति कूरता कारित की ?	
2	क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर श्रीमती आफरीन से दहेज में मोटरसाईकिल की मांग अवैध रूप से की?	
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?	

### साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

### विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2,3 का निराकरण :-

- 06— उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एक—साथ किया जा रहा है।
- 7— उक्त विचारणी प्रश्नों के संबंध में आफरीन (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है, लगभग 1 वर्ष पहले आरिफ और उसका भाई मोहम्मद कासीम ने उसे रस्सी से बांधकर मारपीट की थी। आरोपीगण ने पहले उससे विवाद किया था इस कारण वह मायके चली गई थी। आरिफ और उसके भाई द्वारा मारपीट करने से उसके सिर में चोट आई थी उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था। आरिफ ने उसके पिता से मोटरसाईकिल की मांग की थी उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लिखाई थी जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 8— साक्षी से न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 व प्रदर्श पी 2 के कथन में यह बताया था कि आरोपीगण उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते है। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 एवं प्रदर्श पी 2 में आरोपीगण द्वारा उसे छोटी—छोटी बातों पर शारीरिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, लिखाने से भी इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसका राजीनामा हो गया है और आरोपी से तलाक भी हो गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि वह आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादिया ने स्वीकार किया है कि विवाद के बाद से उसके पति उसको मानसिक बीमारी का ईलाज मनो चिकित्सक डॉक्टर अभय पालीवाल से करा रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे मोटरसाईकिल की मांग नहीं की थी।
- 9— संजीव पाटिल (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 23.02.2016 को फरियादियां ने थाने पर आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। इसी अपराध की विवेचना के दौरान शिवानिनामा थाना प्रभारी ने प्रदर्श पी 3 का नक्शा मौका बनाया था और जप्ती पंचनामा प्रदर्श्य पी 4 बनाया था, प्रदर्श पी 3 एवं प्रदर्श पी 4 पर ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानता है। विवेचना के दौरान फरियादियां और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी अथवा उसने मन से रिपोर्ट लिख ली थी।
- 10— आरोपीगण से राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। फरियादी स्वयं ने अपने कथन के

दौरान आरोपीगण द्वारा उसके साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना अथवा दहेज में मोटरसाईकिल की मांग करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 498-ए/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

- 10— अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तों के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी आरिफ पिता अब्दुल, निवासी बाग, अब्दुल पिता इस्माईल, निवासी बाग, रशीदा पित अब्दुल, निवासी बाग, युसुफ पिता इस्माईल, निवासी बाग को भा.द.वि. की धारा 498—ए सहपिठत धारा 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित करता है।
- 11. अभियुक्तों के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।
- 12. अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण—पत्र बनाये जाए ।
- 13. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति सीडी और आफरीन व आरिफ का निकाह नामा फरियादी को वापस किया जाए। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उदबोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र. (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला—बड्वानी, म.प्र.